हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/9/24 पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थिति है। जबाव पेरोकार सरकार के द्वारा आदेशिका पर अंकित किया गया व तहसीलदार हिण्डोली से नाम शुद्धि बाबत जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल है। प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की सयुक्त खातेदारी भूमि खाता संख्या 267, 269, 266, 224, 514 ग्राम टोंकडा पटवार मण्डल टोंकडा में दर्ज होना अंकित करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी का सही नाम शिवराज सिंह है। जबकि प्रार्थी का नाम ग्राम टोंकडा के राजस्व रिकॉर्ड के खाता संख्या 267, 269, 266, 224, 514 में लक्ष्मीनारायण पुत्र हरनाथ दर्ज हो जाने से उसे किसी भी प्रकार की सरकारी सहायताओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में लक्ष्मीनारायण के स्थान पर शिवराज सिंह दर्ज किया जावे। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं जबाव अप्रार्थी का अवलोकन किया। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड संख्या 221680414167, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र संख्या 1YY1525864, फॉजी नौकरी का सर्टिफिकेट क्रम संख्या 778, शिक्षा विभाग, राजस्थान राज्य पाठशालान्तर प्रवेशांनुज्ञा कक्षा–1 क्रम संख्या 122 विद्यालय ग्राम टोंकडा व बैंक खाता पास बुक भारतीय स्टेट बैंक शाखा हिण्डोली खाता संख्या 51047444160, परिवार राशन कार्ड संख्या 232 ग्राम टोकडा प्रस्तुत किये है जिनमें प्रार्थी का नाम शिवराज सिंह पुत्र हरनाथ अंकित है। जबाव सरकार में प्रार्थी का नाम लक्ष्मीनारायण के स्थान पर शिवराज सिंह शुद्ध दर्ज किया जाना उचित बताया है। एवं तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट अनुसार लक्ष्मीनारायण पुत्र हरनाथ व शिवराजसिंह पुत्र हरनाथ एक ही व्यक्ति का नाम होना अंकित किया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 267, 269, 266, 224, 514 ग्राम टोंकडा पटवार मण्डल टोंकडा में दर्ज प्रार्थी के नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र हरनाथ के स्थान पर शिवराज सिंह उर्फ लक्ष्मीनारायण पिता हरनाथ दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार, हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत में लिखा जाकर सुनाया गया। अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति हिण्डोली जिला बून्दी (राज.) कोड नं॰ 24971 तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)	